

कार्यालय-न्यायाधीश, परिवार न्यायालय बेमेतरा (छ0ग0)

:: विज्ञापन ::

क्रमांक 23...../परि.न्या.सु.अधि./2018

बेमेतरा, दिनांक 27.01.2020

परिवार न्यायालय बेमेतरा में परामर्शदाताओं की नियुक्ति हेतु निम्नांकित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से विज्ञापन जारी तिथि के 15 दिवस के भीतर अपने बायोडाटा एवं फोटो सहित आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं—

कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984 के नियम 2007 के कंडिका (8) के अंतर्गत परामर्शदाता के लिये अर्हता —

(1) के अधीन कोई भी व्यक्ति जिसके पास एक विषय के रूप में समाज विज्ञान या मनोविज्ञान के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की उपाधि (डिग्री) हो और विशेषतः समाजकार्य, बालमनोविज्ञान या कुटुम्ब संबंधी परामर्श से न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव हो, परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति के लिये पात्र होगा :

परन्तु शैक्षणिक अर्हता/न्यूनतम अनुभव में, उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा अपवादित परिस्थितियों में छूट दी जा सकेगी :

परन्तु यह और कि अपेक्षित अर्हता रखने वाली महिलाओं को प्राथमिकता दी जा सकेगी :


परन्तु और भी कि कोई भी व्यक्ति परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति के लिये तभी पात्र होगा, जब उसने 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 60 वर्ष की आयु से कम का हो।

(2) किसी अभ्यर्थी को, जो —

(क) एक न्यायाधीश रहा हो, या

(ख) कुटुम्ब संबंधी विषयों में परामर्श का अनुभव रखता हो, अन्य बातें समान होने पर नियुक्ति के मामले में प्राथमिकता दी जावेगी।

परामर्शदाता के रूप में नियोजित व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर देय अनुज्ञेय मानदेय या शुल्क दिया जावेगा।


(श्रीमती अनिता डहरिया)
न्यायाधीश

परिवार न्यायालय बेमेतरा (छ0ग0)

प्रतिलिपि :-

पृष्ठांकन क्रमांक २५(५)/परि.न्या.सु.अधि./2018

बेमेतरा, दिनांक 27.01.2020

- (1) कलेक्टर, बेमेतरा/तहसील कार्यालय— बेमेतरा/साजा/नवागढ़/बेरला/नांदघाट, जिला—बेमेतरा (छ0ग0), की ओर कार्यालय की नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु प्रेषित।
- (2) नोडल अधिकारी, सर्वर रूम, जिला न्यायालय बेमेतरा (छ0ग0), की ओर विज्ञापन को वेबसाइट पर अपलोड हेतु प्रेषित।
- (3) अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ बेमेतरा/साजा, जिला—बेमेतरा (छ0ग0), की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (4) प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग बेमेतरा/साजा, जिला—बेमेतरा (छ0ग0), की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (5) ✓जनसम्पर्क अधिकारी, जिला कार्यालय बेमेतरा (छ0ग0), की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(श्रीमती अनिता डहरिया)

न्यायाधीश

परिवार न्यायालय बेमेतरा (छ0ग0)